अनुदान संख्या 44 – अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 44–INDIRECT TAXES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*1,00,00*	*56,27*	*–43,73*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*8,50*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1458,67,00	1459,68,00	1361,34,67	–98,33,33
पूरक	Supplementary	1,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				45,80,50
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		188,73,00	6,82,91	–181,90,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				179,62,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *50.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2038'' - ''संघ उत्पाद शुल्क'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (9833.33 लाख रु.) दिसंबर, 2005 में प्राप्त किए गए 101.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.50.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2038" - "Union Excise Duties".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.9833.33 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.101.00 lakhs obtained in December, 2005 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2037" सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs				
मू.	O.	51472.00			
पू.	S.	1.00	48886.50	46544.65	–2341.85
पु.	R.	–2586.50			
मुख्य शीर्ष "2038" संघ उत्पाद शुल्क	Major Head "2038" Union Excise Duties				
मू.	O.	94245.00	92165.20	89470.25	–2694.95
पु.	R.	–2079.80			
मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री और उपस्कर	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments				
पू.	S.	100.00	100.00	61.84	–38.16

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत 10.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3606" - "संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से अन्य विविध सहायता - औषध प्रवर्तन वस्तुएं एवं प्रशिक्षण सहायता" के अंतर्गत 100.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं तथापि, जो, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से उपस्करों की कम अधिप्राप्ति होने के कारण 38.16 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष "2037" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "राजस्व एवं आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन" - 1057.59 लाख रु. की बचत (16196.43 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय अपनाए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.10.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major Head "3606" -"Other Miscellaneous Assistance from the Government of USA - Drug Enforcement Commodities and Training Assistance" - funds of Rs.100.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.38.16 lakhs - due to less procurement of equipments from the Government of USA.

(III) Under Major Head "2037" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Revenue-Cum-Import/Export Trade Control Functions – Sea Customs – Major Ports"– saving of Rs.1057.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16196.43 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of reward cases and adoption of economy measures.

(खा) "निवारक तथा अन्य कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - लघु पत्तन'' - 3849.83 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 28553.13 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने, अनुषंगी स्टाफ को कम काम पर लगाए जाने और किराए पर देने के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2038'' - "निदेशन और प्रशासन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निरीक्षण'' - 6429.62 लाख रु. की बचत (9574.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, किफायती उपाय अपनाए जाने और किराए पर लिए जाने के प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय'' - 182.93 लाख रु. की बचत (1724.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुस्कार मामलों को मंजूरी प्रदान न किए जाने और वाहनों को किराए पर न लिए जाने के कारण हुई।

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत 285.43 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 61 प्रतिशत तक थीं।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2038'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क)'' - 557.10 लाख रु. का अधिक व्यय (1542.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ते में वृद्धि होने, प्रैस चलाने की लागत में वृद्धि होने और प्रकाशन के लिए लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "संग्रहण प्रभार'' -

(क) "आयुक्तालय (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)'' - 1343.56 लाख रु. का अधिक व्यय (78169.71 लाख रु. के

(B) "Preventive and Other Functions - Sea Customs-Major Ports"- saving of Rs.3849.83 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.28553.13 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of reward cases, less engagement of contingent staff and non-finalisation of hiring proposals.

(IV) Under Major Head "2038"- "Direction and Administration"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Inspection" - saving of Rs.6429.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9574.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, adoption of economy measures and non-materialisation of hiring proposals.

(B) "Directorate General of Central Excise Intelligence"- saving of Rs.182.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1724.00 lakhs) was due to non-clearance of reward cases and non-hiring of vehicles.

(V) Under four heads savings of Rs.285.43 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 61 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2038" - under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Directorate of Publicity and Public Relations (Customs and Central Excise)" - excess of Rs.557.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1542.00 lakhs) was due to increase in dearness allowance, increase in the running cost of press and clearance of pending bills for publication.

(B) "Collection Charges" -

(a) "Commissionerates (including field offices)" - excess of Rs.1343.56 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते में वृद्धि होने, अधीक्षकों/निरीक्षकों के वेतनमानें में संशोधन होने, रिक्त पदों के भरे जाने तथा अधिक वाहन किराए पर लिए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के वेतन एवं लेखा कार्यालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)'' - 101.11 लाख रु. का अधिक व्यय (1522.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंप्यूटरों के संस्थापन के लिए विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों का नवीकरण किए जाने, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी 82 वेतन एवं लेखा कार्यालयों को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्यालयों से जोड़ने के लिए मल्टी प्रोटोकाल लेवल स्विचिंग वरच्युल प्राइवेट नेटवर्क स्थापित किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(against the sanctioned provision of Rs.78169.71 lakhs) was due to increase in dearness allowance, revision of pay scales of Superintendents/Inspectors, filling up of vacant posts and hiring of more vehicles.

(b) "Pay and Accounts Offices (Central Excise) of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC" - excess of Rs.101.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1522.00 lakhs) was due to renovation of various Pay and Accounts Offices for installation of computers, setting up of Multi Protocol Level Switching Virtual Private Networks (MPLSVPN) to link up all the 82 Pay and Accounts Offices of Central Board of Excise and Customs to Headquarters of Principal Chief Controller of Accounts.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4047'' अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	13573.00	110.00	105.09	–4.91
पु.	R.	–13463.00			
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	3300.00	1.00	0.88	–0.12
पु.	R.	–3299.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2000.00	800.00	576.94	–223.06
पु.	R.	–1200.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - निवारक और अन्य कार्य" के अंतर्गत 13462.99 लाख रु. की बचत (13568.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलयानों की खरीद के आदेश प्रस्तुत करने में प्रक्रियात्मक विलंब होने की वजह से समुद्री जलयानों की अधिप्राप्ति को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4047" - "Customs - Preventive and other Functions" - saving of Rs.13462.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13568.00 lakhs) was due to non-completion of procurement of Marine Vessels owing to procedural delay in placing order for purchase of vessels.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत 3299.12 लाख रु. की बचत (3300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय आवास के अधिग्रहण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready-built Accommodation" - saving of Rs.3299.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3300.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for acquisition of office accommodation.

(III) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 1423.06 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिहायशी आवास की खरीद संबंधी कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(III) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees – Acquisition of Ready-built Flats" – saving of Rs.1423.06. lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-finalisation of certain proposals for purchase of residential accommodation.